VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
25 DEC 2021
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1863)

Name of Candidate	Rajnish Patel		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	984013
Center	Mukherjee Nagar.	Date	25/12/2021

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Parliamentary oversight of administration is not an end in itself rather it acts as a means to strengthen the efficient functioning of the administration. Discuss. **(150 words) 10**

प्रशासन की संसदीय निगरानी अपने आप में एक अंत नहीं है बल्कि यह प्रशासन के कुशल कामकाज को मजबूत करने के एक साधन के रूप में कार्य करता है। विवेचना कीजिए।

भारतीय संसदीय व्यवस्था में विधायिका की भूमिका विधि निर्माण तक सीमित न होकर विविध सरकारी अंगों के कार्यों का पुनरीक्षण करने आदि की भी है।

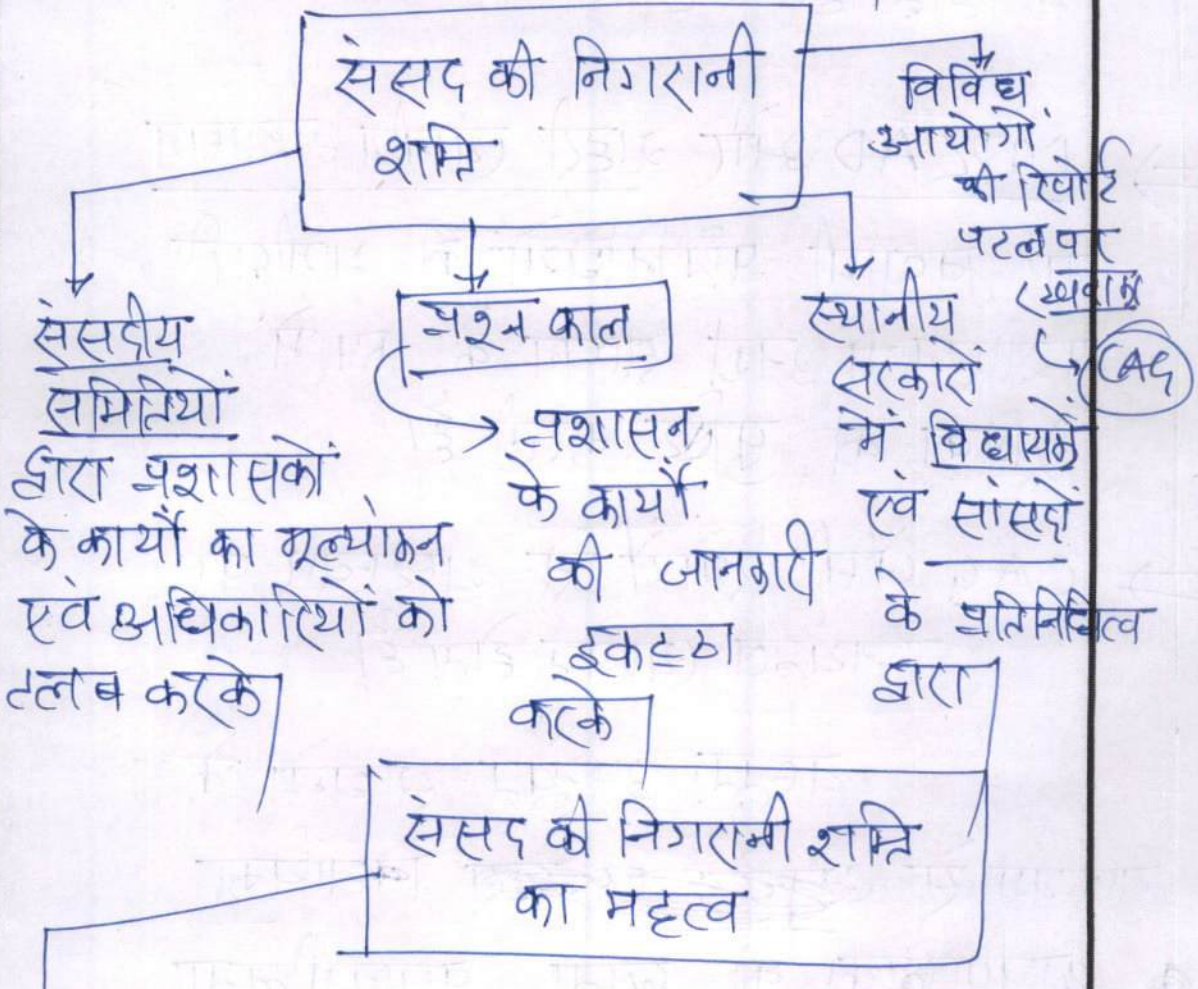

⇒ यह संसदीय लोकतंत्र की चेक एंड बैलेंस की अवधारणा को मजबूत करती है।

⇒ प्रशासनिक कार्यों का मानवाधिकार आयोगों, अनुसूचित क्षेत्र की रिपोर्टें, SC-ST रिपोर्टों से पारदर्शी मूल्यांकन संभव होता है।

⇒ संसद के माध्यम से आंकड़े जनता तक पहुंचते हैं अतः नागरिक सशक्तीकरण में वृद्धि होती है।

⇒ MPLAD और शहरी स्थानीय प्रशासन में विधायी प्रतिनिधियों की भागीदारी प्रशासन में उनकी साधन के रूप में भूमिका की पुष्टि करती है।

⇒ CAG जैसी रिपोर्टें से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित होता है।

वस्तुतः उपर्युक्त साधनों के माध्यम से ~~अनुच्छेद~~ विधायिका कार्यपालिका की दक्षता, प्रभावशीलता उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The Tenth Schedule of the Constitution has weakened the democratic credentials of India's representative democracy. Critically discuss.

(150 words) 10

संविधान की दसवीं अनुसूची ने भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र की लोकतांत्रिक साख को कमजोर कर दिया है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

संविधान की 10वीं अनुसूची को 1980 के दशक में तेजी से प्रचलित दलबदल को रोकने हेतु, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे प्रचलित रूप से दल बदल अधिनियम कहा जाता है।

10वीं अनुसूची के प्रावधान

- लोकसभा अथवा राज्यसभा के स्पीकर/सभापति अधोलिखित आधारों पर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं।
  - पार्टी से त्यागपत्र देने पर।
  - व्हिप के विरुद्ध वोट देने पर
  - मनोनीत सदस्य यदि 6 माह बाद पार्टी सदस्यता ले
  - अन्य

10वीं अनुसूची की आलोचना

- कुछ विचारकों का मानना है कि इसने लोकतंत्र में सांसदों द्वारा पार्टी लाइन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के विरुद्ध बोलने की परम्परा को भारतीय संदर्भ में समाप्त कर दिया है।

→ अब प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत जिसमें 'जनता की आवाज' बनना संसद सदस्य का मूल उद्देश्य होता है की जगह 'पार्टी की आवाज' को महत्व मिलता है।

⇒ ब्रिटेन जैसे संसदीय लोकतंत्र में ऐसे प्रावधान नहीं हैं

⇒ यह अपरिपक्वता का संकेतक है।

विपक्ष

→ भारत के संसदीय लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए जरूरी था यह कदम क्योंकि 'आया राम गया राम' की परम्परा शुरू हो गयी थी।

⇒ भारत में गठबंधन सरकारों की सफलता में कुछ लोग इसे महत्वपूर्ण मानते हैं।

वस्तुतः 10वीं अनुसूची का उपयोग विधि आयोग की सिफारिश के मुताबिक केवल विश्वास मत के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Article 246 of the Indian Constitution is considered as the cornerstone of Centre-state legislative relations. Discuss. **(150 words) 10**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 को केंद्र-राज्य विधायी संबंधों की आधारशिला माना जाता है। विवेचना कीजिए।

भारत के संविधान अनुच्छेद-1 में इसे 'राज्यों का संघ' कहा गया है तथा इसके अन्य प्रावधान भी भारतीय प्रजातंत्र को संघीय लोकतंत्र बनाते हैं। इस संबंध में अनुच्छेद-246 भी केंद्र-राज्य संबंध में महत्वपूर्ण है।

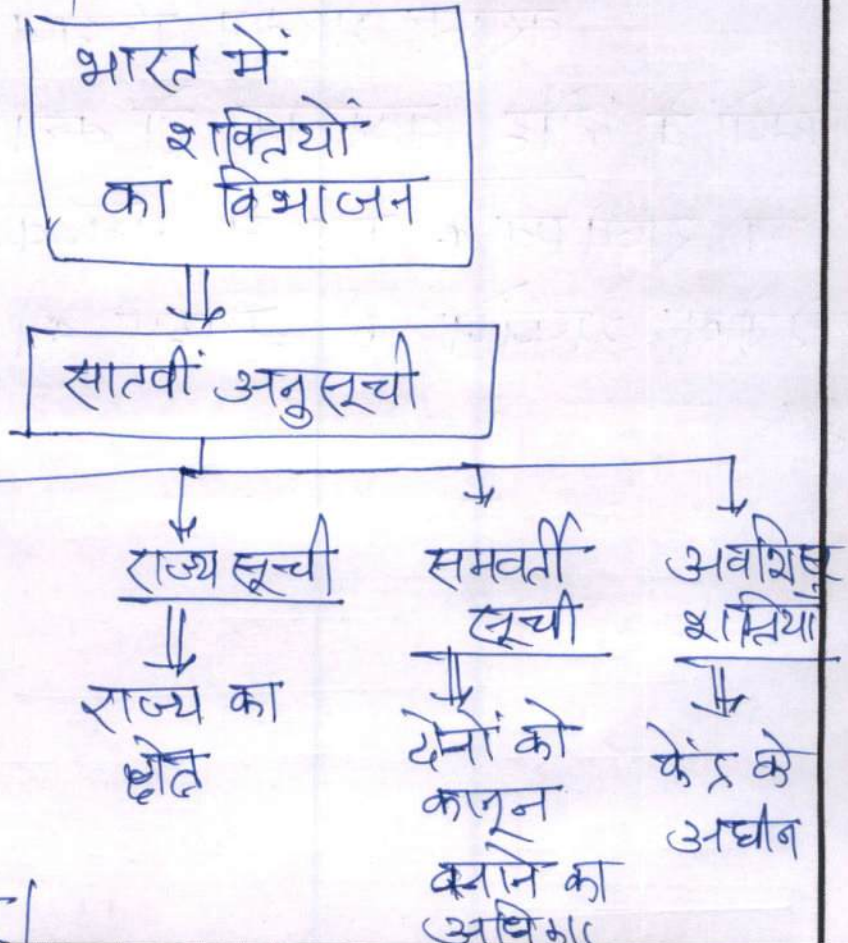

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

केंद्र राज्य संबंधों में टकराव के क्षेत्र

⇒ राज्य क्षेत्र के विषयों पर भी केंद्र द्वारा हस्तक्षेप। उदाहरण – कृषि क्षेत्र में हाल में पारित कानून।

⇒ समवर्ती विषयों पर विधायन संबंधी टकराव।

वस्तुतः भारतीय संविधान में शक्तियों के लौह विभाजन से बचा गया है एवं राज्य एवं केंद्र से समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा की गयी है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Although the provision of issuing ordinances amounts to the usurpation of legislative power by the Executive, both Centre and states in India have taken unrestrained course to it. Discuss. **(150 words) 10**

हालांकि अध्यादेश जारी करने का प्रावधान कार्यपालिका द्वारा विधायी शक्ति के अधिग्रहण के समान है, फिर भी भारत में केंद्र और राज्यों दोनों ने इसे अनियंत्रित रीति से प्रयुक्त किया है। चर्चा कीजिए।

अध्यादेश का प्रावधान राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधायिकाओं की अनुपस्थिति में विधायन शक्ति प्रदान करने हेतु किया गया है ताकि किसी तात्कालिक परिस्थिति जिस पर आपात प्रतिक्रिया की जरूरत है, से निपटा जा सके। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को यह शक्ति क्रमशः अनुच्छेद 123 एवं 213 के तहत प्राप्त है।

कार्यपालिका द्वारा अनुप्रयोग

⇒ कार्यपालिकाओं ने इसे विधायिकाओं के पुनरीक्षण एवं विरोध से बचने के लिए कसा शुरू कर दिया है।

⇒ इनकी वैधता (6 सप्ताह) समाप्त होने के पश्चात् बार-बार जारी किया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी एवं उच्चतम न्यायालय ने इसके अनुप्रयोग को सीमित करने की बात की है।

⇒ वर्तमान में COVID-19 संकट के दौरान सरकार द्वारा कई अध्यादेशों को जारी किया गया जिसमें कुछ परिस्थितिजन्य थे तो कुछ को सरकार ने विधायिका से बचने हेतु प्रयोग किया, ऐसा आरोप लगाया गया है।

वस्तुतः अध्यादेशों के संबंध में संविधानसभा का मत था कि ये विरल रूप से ही प्रयोग किए जाएंगे अतः उस मत का सम्मान किया जाना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. There has been a manifold increase in the number of ministries in the central government since independence. Do you agree with the view there is a need to phase out many ministries and amalgamate others in this context? **(150 words) 10**

स्वतंत्रता के बाद से केंद्र सरकार में मंत्रालयों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि इस संदर्भ में कई मंत्रालयों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और अन्य को समामेलित करने की आवश्यकता है?

हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में सरकार ने विविध मंत्रालयों के युक्तिकरण का प्रयास किया। जैसे कृषि मंत्रालय से अलग करके सहकारिता का अलग मंत्रालय बनाना तथा स्वास्थ्य एवं रसायन उर्वरक मंत्रालय में विभागों का युक्तिकरण करना।

स्वतंत्रता के बाद निर्मित नवीन मंत्रालय (प्रमुख रूप से)

- जनजातीय कल्याण मंत्रालय
- सहकारिता मंत्रालय
- दूर संचार मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय
- अन्य।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मंत्रालयों की बड़ी संख्या के पीछे कारक

- भारत की विविधता
  - नृजातीय
  - सांस्कृतिक आदि
  - जनजातीय मंत्रालय का सृजन
- विशाल जनसंख्या
- राजनीतिक स्थिरता हेतु
  - गठबंधन के दौर में सभी दलों को खुश करने हेतु
- नवीन क्षेत्रों का विकास
  - सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

मंत्रालयों के युक्तिकरण की जरूरत

- वर्तमान में मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की जरूरत है। मानवीय इंटरफेस कम करने की जरूरत।
- भारत में मंत्रालयों में विभागों का वितरण कई जगह अतार्किक है। उचित विभागों को उचित मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिए। जैसे – गृहमंत्रालय का राजभाषा विभाग
- जलशक्ति मंत्रालय की तर्ज पर ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सूचना क्षेत्र आदि मंत्रालयों का युक्तिकरण किया जा सकता है

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Evaluate the success of Digital India in fulfilling its vision of transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy.

(150 words) 10

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने में डिजिटल इंडिया की सफलता का मूल्यांकन कीजिए।

21 वीं सदी को सूचना क्रांति के दौर में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने 2015 में एक अभिनव योजना डिजिटल इंडिया की शुरुआत की

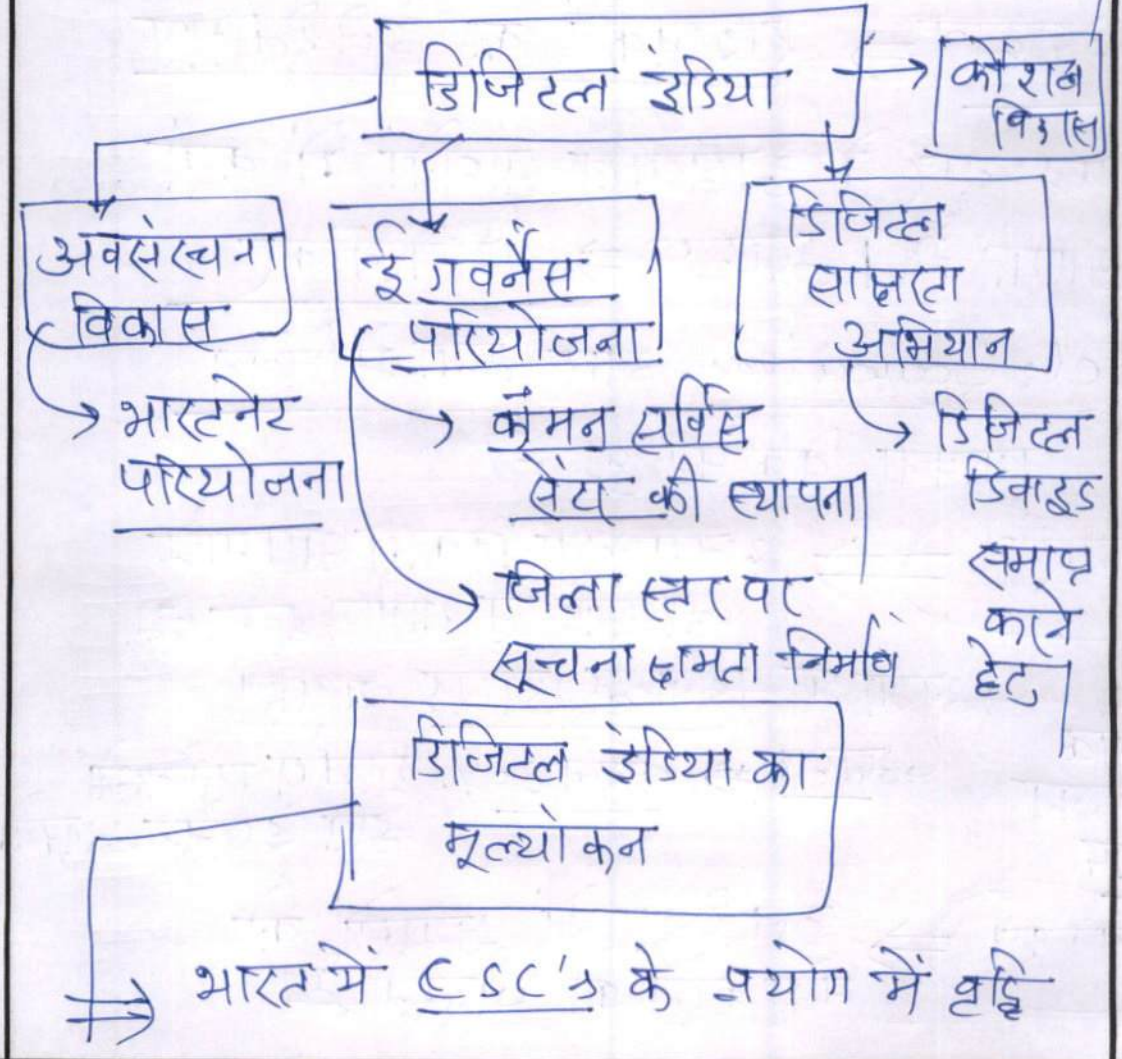

हुई है, इस दिशा में विविध प्रमाण पत्रों, के निर्माण, आदि हेतु इसका उपयोग व्यापक हुआ है।

⇒ बैंकिंग सेवाओं की पहुँच विस्तृत हुई है। वित्तीय समावेशन बढ़ा है। उदाहरण → JAM ट्रिनिटी

⇒ लीकेज से लड़ने में मदद मिली है। उदाहरण ⇒ राशनकार्ड का डिजिटलीकरण

⇒ भ्रष्टाचार के अप्रत्यक्ष साधनों में कमी आयी है। उदाहरण ⇒ डिजिलॉकर

⇒ Tele Education और टेली मेडिसिन की संभावना विकसित हुई है।

सीमाएँ ⇒ अवसंरचना विकास अपर्याप्त खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में
↳ अभी भी डिजिटल डिवाइड व्यापक।
↳ उदाहरण ⇒ केवल 30% ग्रामीण महिलाओं द्वारा इंटरनेट उपयोग

↓ आर्थिक विभाजन मौजूद

निष्कर्ष ⇒ इस दिशा में प्रयासों को तीव्र करने की जरूरत है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Examine the issues related to poverty measurement in India. Suggest measures to improve upon the existing methodologies. **(150 words) 10**

भारत में निर्धनता के मापन से संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए। मौजूदा पद्धतियों में सुधार के उपायों का सुझाव दीजिए।

निर्धनता को अलग-अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जाता रहा है। कहीं उपभोग तो कहीं आर्थिक आधार पर तो वहीं अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसे अपेक्षताओं एवं विकल्पों से जोड़कर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है।

निर्धनता मापन की विभिन्न पद्धतियाँ

- प्रति व्यक्ति आय पर आधारित
- प्रति व्यक्ति व्यय पर आधारित
- कैलोरी आधारित
- शहरी ग्रामीण विभाजन करते हुए क्रय क्षमता आधारित

विविध समितियाँ

- तेंदुलकर समिति
- लाकड़वाला समिति आदि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सीमाएँ

→ कोई भी एक पद्धति बहुआयामी निर्धनता को शामिल नहीं करती जैसे कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में किया जाता है।

→ वस्तुतः गरीबी के व्यापक परिभाषा को सरकारी मान्यता नहीं मिलने से केवल आंकड़ों के साथ खेल की स्थिति बन गयी है।

सुधार के बिंदु

→ गरीबी को स्वच्छता, पोषण, शिक्षा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन में अनुकूलन क्षमता जैसे घटकों से जोड़कर देखा जाय।

→ गरीबी के आंकड़ों का राजनीतिकरण बंद हो।

इस संदर्भ में सभी अपेक्षाओं को शामिल करने वाले विस्तृत इंडेक्स का निर्माण किया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. As one of the recommendations of the National Education Policy (NEP) 2020, discuss the rationale behind internationalisation of higher education in India and its associated challenges. **(150 words) 10**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 की सिफारिशों में से एक के रूप में, भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिए गए तर्क और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, जिसमें IIT, IISc जैसे संस्थान भी शामिल हैं, QS वर्ल्ड रैंकिंग जैसे मानकों पर निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते रहे हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का फायदा उठाने हेतु NEP 2020 में उपर्युक्त सुझाव दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तर्क

→ मेसाच्यूसेट्स, हार्वर्ड जैसे संस्थानों की संस्कृति, अनुभव से भारतीय शिक्षा का इकोसिस्टम सीखेगा।

→ फैकल्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी।

→ भारतीय छात्रों को विदेश जाने की जरूरत कम होगी। विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ भारतीय संस्थानों में सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा का विकास होगा।

⇒ सिंगापुर जैसे देशों में यह प्रयोग सफल रहा है।

⇒ भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान आदि को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ

⇒ कई फर्जी विश्वविद्यालय खुल सकते हैं।

⇒ फीस इनकी अत्यधिक हो सकती है।

⇒ ये सामाजिक न्याय (आरक्षण) के प्रावधानों का पालन नहीं कर सकते हैं।

⇒ ये भारतीय राजनीति में दखलंदाजी कर सकते हैं।

वस्तुतः इस दिशा में सकारात्मक शुरुआत आईवी लीग के विश्वविद्यालयों को पहले मौका देकर की जा सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Stating the significance of Free Trade Agreements (FTAs), examine whether they have been as beneficial as expected for India. **(150 words) 10**

मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के महत्व को वर्णित करते हुए, परीक्षण कीजिए कि क्या वे भारत के लिए अपेक्षा के अनुसार लाभदायक रहे हैं।

उदारीकरण को अपनाने के बाद भारत ने व्यापक स्तर पर FTA's पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे- आसियान के साथ FTA, दक्षिण एशिया में FTA (SAFTA) आदि। इनका अनुभव मिश्रित रहा है। इसे अग्रलिखित संदर्भों में समझा जा सकता है।

FTA's का महत्व

- मुक्त व्यापार के दौर में महत्वपूर्ण
- वस्तु का आसानी से आयात निर्यात संभव
- व्यापार की मात्रा बढ़ती है।
- वस्तुओं के साथ-साथ सेवा क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है।
- राजनैतिक तथा अन्य संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

FTA's की सफलता

- भारत के व्यापार में वृद्धि हुई है।
- निर्यात भी बढ़ा है।
- विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है।
- भारतीय उत्पादों की बाजार पहुँच आसान हुई है।

FTA's से उपजी चुनौतियाँ

- Rule of Origin का स्पष्ट प्रावधान न होने से चीन जैसे देशों से डंपिंग की समस्या बढ़ी है।
- सेवा, निवेश पर समझौतों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
- भारत के निर्यात की तुलना में आयात अधिक बढ़ा है। व्यापार घाटा बढ़ा है।

उपर्युक्त स्थितियों को देखते हुए भारत ने मॉरीशस, मालदीव, ASEAN आदि देशों से FTA's के पुनर्मूल्यांकन पर बल दिया है। यह सकारात्मक कदम है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Though multilateral development banks (MDBs) are crucial for holistic development of developing nations like India, there are certain legitimate concerns about their functioning. Discuss. **(150 words) 10**

यद्यपि बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs) भारत जैसे विकासशील देशों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, तथापि उनके कामकाज के बारे में कुछ वैध चिंताएं भी हैं। विवेचना कीजिए।

भारत ने पारंपरागत रूप से बहुपक्षीय विकास बैंकों का लाभ उठाया है वर्तमान में यह स्वयं को नवीन रूप से स्थापित कर रहा है। भारत की दृष्टि से इसमें कुछ चिंताएँ भी हैं।

भारत की विविध बहुपक्षीय विकास बैंकों में भागीदारी

- विश्व बैंक समूह
- ब्रिक्स विकास बैंक
- एशिया अवसंरचना विकास बैंक
- यूरोपीय बैंकों के साथ सहयोग

इन बैंकों से उपजी चिंताएँ

⇒ विश्व बैंक जैसे समूहों में पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका का वर्चस्व।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ एशिया अवसंरचना बैंक में चीन का प्रभुत्व

⇒ BRICS Bank की सीमित क्षमता।

⇒ इन बैंकों में भारत की कम हिस्सेदारी।

⇒ भारत की क्रेडिट रेटिंग के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया।

⇒ भारतीय रुपए की कठोर शर्तें।

⇒ पाकिस्तान जैसे देशों को धन देने तथा उनके गलत उपयोग की भी चिंता।

वस्तुतः भारत द्वारा इस दिशा में जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ सामूहिक प्रयास द्वारा समानता पर आधारित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को प्रेरित करना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Despite the legal framework to resolve inter-state river water disputes, why do they continue to exist? Also, discuss measures that can be taken to resolve such disputes in an expeditious and agreeable manner.

(250 words) 15

अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए कानूनी ढांचे के विद्यमान होने के बावजूद, वे अभी भी जारी क्यों हैं? साथ ही, ऐसे विवादों को शीघ्र और सहमतिपूर्ण रीति से हल करने के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-
262 अंतर्राज्यीय नदी विवादों के संबंध
में राज्य को निर्देशित करता है।

उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर
संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित
अधिनियम बनाया।

प्रमुख प्रावधान

- नदी जल विवाद अधिकरणों के गठन का प्रावधान।
- जल आयोग का गठन
- नदी जल बोर्ड।

नदी जल विवाद अभी भी जारी क्यों हैं

- क्षेत्रवादी मानसिकता इसके पीछे एक बड़ा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कारक रही है। इसने कृष्णा-गोदावरी जलविवाद से लेकर केन बेतवा तक को प्रभावित किया है।

⇒ जब विवादों का राजनीतिकरण किया जाना भी एक कारक रहा है। इसे दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है।

⇒ कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट रूप से न्यायिक दखल से रोका गया है किंतु न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े ये मामले लंबित एवं जटिल हुए हैं।

⇒ संघीय भावना एवं राष्ट्रीय हित को विवाद में महत्व न देना भी एक कारक।

⇒ पर्याप्त संवाद का अभाव।

⇒ केंद्र सरकार पर राज्यों के भरोसे का अभाव।

⇒ अधिकरणों की अस्थायी प्रवृत्ति।

⇒ अधिकरणों की सीमित क्षमता।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपाय

- स्थायी अधिकरण की स्थापना की जाय।
- संघीय भावना के साथ राज्यों के बीच एवं केंद्र के बीच विश्वास बहाली हो।
- आंकड़ों आदि के क्षेत्र में क्षमता विकास हो।
- राजनीतिकरण की बजाय परिपक्व दृष्टिकोण अपनाया जाय।

इस दिशा में वर्तमान कानूनों का नवीनीकरण भी आवश्यक कदम होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. While use of technology is a welcome step towards improving the efficiency of the judicial system, it must be understood that technology itself comes with a set of challenges that make justice even more inaccessible. Discuss. **(250 words) 15**

हालांकि न्यायिक प्रणाली की दक्षता में सुधार की दिशा में प्रौद्योगिकी का उपयोग एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह भी समझा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी स्वयं चुनौतियों के एक समूह को साथ लाती है जो न्याय को और भी अधिक दुर्गम बनाती है। चर्चा कीजिए।

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने जीरो पेंडिंग केस नामक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इ(संचार प्रौद्योगिकी के सहयोग से केसों की मानिटरिंग में सफलता पायी है। यह न्यायिक दक्षता हेतु तकनीक के प्रयोग का सफल उदाहरण है।

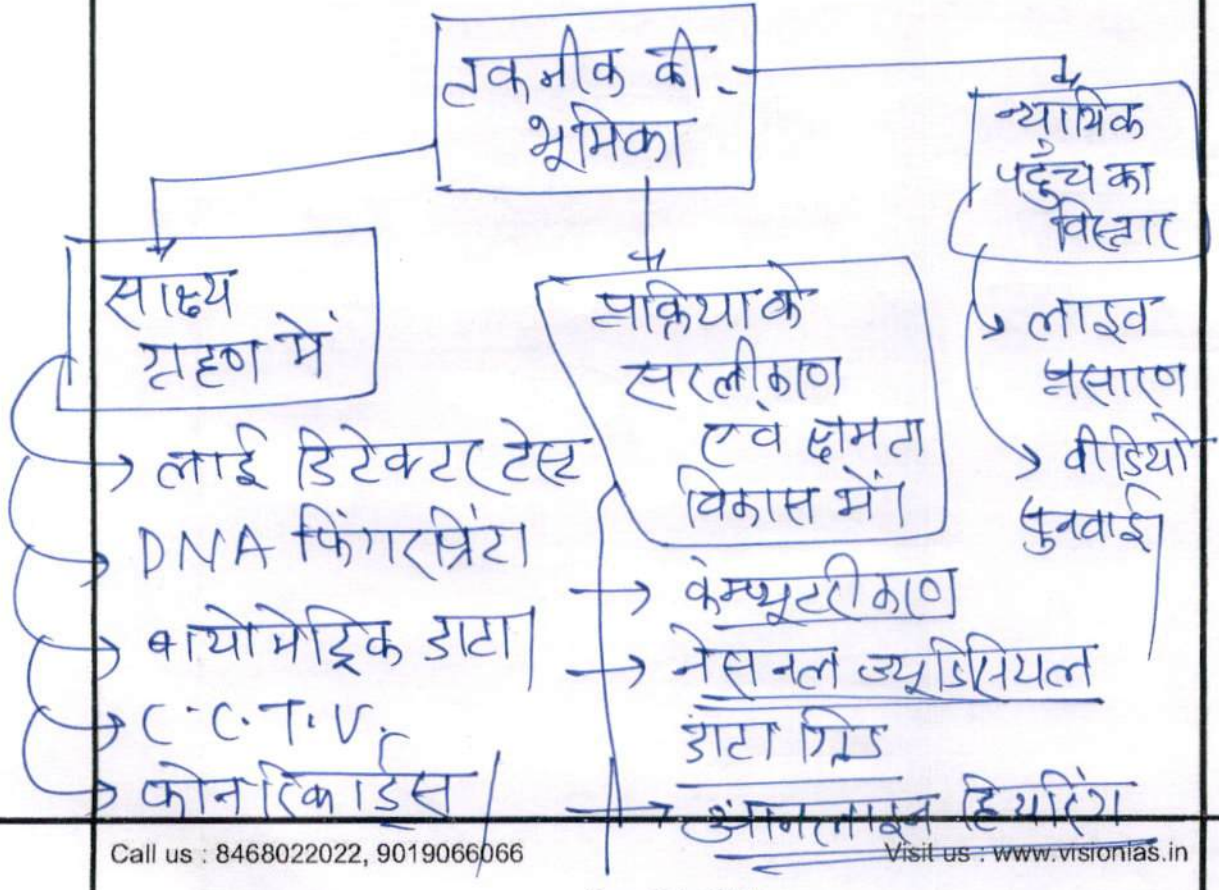

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

COVID-19 के दौरान न्यायालयों द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसके प्रयोग ने तकनीक के संबंध में न्यायपालिका में अनुप्रयोग को लेकर विमर्श को तीव्र किया है।

इसके महत्व को देखते हुए सरकार ने भी कारम डाटा आदि को निर्माण करने में DNA तकनीक आदि की दिशा में सोच रही है।

चुनौतियाँ

⇒ आनलाइन सुनवाई एवं प्रसारण में जज द्वारा अपनी छवि को दृष्टिगत रखते हुए फैसला सुनाया जा सकता है।

⇒ C.C.T.V. के बढ़ते अनुप्रयोग तथा अन्य निजी डाटा के अनुप्रयोग ने 'निजता के अधिकार' के संबंध में चिंता को बढ़ाया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- तकनीक अनुप्रयोग के संबंध में न्यायिक मानव संसाधन की क्षमता सीमित है।
- तकनीकी परिवर्तन के अनुरूप प्रक्रियाओं में परिवर्तन नहीं हुआ है।
- साइबर अटैक की चिंता भी है।

उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने हेतु पर्याप्त कदम उठाते हुए न्यायपालिका में तकनीक को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि न्यायपालिका में लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जा सके।

13. The current urban planning capacities in India are extremely skeletal and need systemic reforms and a change in mindset. Discuss. **(250 words) 15**

भारत में शहरी नियोजन की वर्तमान क्षमताएं अत्यंत सीमित हैं तथा प्रणालीगत सुधारों और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

हाल ही में शहरी नियोजन के संबंध में भारत में नवीन दृष्टिकोणों का विकास प्रारंभ हुआ है। म्युनिसिपल बाॅन्ड्स, PPP पद्धति पर सस्ते घरों का विकास आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

शहरी नियोजन पर त्रिस्तरीय प्रयास
- → केंद्र द्वारा
- → राज्य द्वारा
- → स्थानीय सरकार द्वारा

केंद्र की सीमित क्षमता → प्रमुख योजनाएं
- → प्रधानमंत्री शहरी आवास
- → स्मार्ट सिटी मिशन

→ पूंजी का अभाव
- → COVID-19 जैसे समय में तो राजकोषीय दबाव और बढ़ा है

→ पर्याप्त उपकरणों, मानव संसाधन तकनीक का अभाव।

⇒ राज्यों द्वारा भी इसी तरह की समस्याओं का सामना किया जा रहा है। चेन्नई में आई बाढ़ में तमिलनाडु राज्य की हाल में सीमित क्षमता सबके सामने प्रकट हुई है।

⇒ स्थानीय निकायों की सीमित क्षमता
- → सीमित फंड
- → आय के स्रोत सीमित
- → तकनीकी क्षमता सीमित।

प्रणालीगत सुधार

- → समन्वित नियोजन पर बल दिया जाय।
- → स्थानीय निकायों की भूमिका का विस्तार हो।
- → निजी स्रोत के साथ सहयोग को PPP द्वारा पर तीव्र किया जाय।
- → निवेश हेतु विशेष प्रयास किया जाय।
- → बहुपक्षीय बैंकों आदि से सहयोग के साथ-साथ सक्षम देशों से भी सहयोग

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लिया जाय जैसे क्योटो के अनुभव का लाभ वाराणसी को विकसित करने में।

नवीन दृष्टिकोण

⇒ पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए ही शहरी नियोजन हो। दिल्ली जैसे शहरों में पर्यावरण का मुद्दा ज्वलन्त है।

⇒ जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखा जाय इसी अनुकूल क्षमता विकास पर बल हो।

⇒ समावेशिता पर बल हो-
- झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र आदि।
- इस दिशा में सस्ते किराया आवास आदि का विकास सराहनीय।

उपर्युक्त प्रयासों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, क्षमता, समयबद्धता जैसे दृष्टिकोण को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Reservation for women in the Panchayati Raj Institutions (PRIs) has not translated into corresponding increase in women's representation in India's state legislatures. Bringing out the reasons for the same, discuss how under-representation of women in the state legislatures can be corrected.

(250 words) 15

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिलाओं के लिए प्रदत्त आरक्षण उसी अनुपात में भारत की राज्य विधान-मंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुआ है। इसके कारणों को वर्णित करते हुए चर्चा कीजिए कि राज्य विधान-मंडलों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व में कैसे सुधार किया जा सकता है।

भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक शक्ति प्राप्त हुई इसी के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। हालांकि इसी तरह की मांग विधानमंडलों हेतु लंबे समय से की जा रही है।

राज्य विधानमंडलों में कम प्रतिनिधित्व के कारण

→ पंचायती राज जैसा आरक्षण का प्रावधान यहाँ नहीं है।

→ समाज की पितृसत्तात्मक संरचना का प्रभाव विधायी प्रतिनिधित्व पर भी पड़ता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

• भारत में महिलाओं को विधायक एवं सांसद बनाने हेतु कोई विशेष प्रयास न तो सामाजिक स्तर पर हुआ है न राजनीतिक स्तर पर।

⇒ महिलाओं की राजनीतिक क्षमताओं का पुरुषों की अपेक्षा कम विकास हुआ है क्योंकि उन्हें कम मौके मिले हैं।

⇒ राजनीति के अपराधीकरण ने महिलाओं के प्रेरणा प्रभाव को कम किया है।

⇒ राजनीति में बढ़ते धन के प्रयोग ने भी महिला प्रतिनिधित्व को बाधित किया है।

सुधार के कदम

⇒ पहला प्रयास तो आरक्षण सुनिश्चित करके किया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ समाज में महिलाओं के प्रति नकारात्मकता को समाप्त करने हेतु विशेष प्रयासों की जरूरत है।

⇒ महिलाओं की राजनीतिक अभिवृत्तियों को भी बदलने की जरूरत है। वस्तुतः बड़ी संख्या में महिलाएँ इसे पुरुष व्यवसाय मानने लगी हैं।

⇒ लैंगिक संवेदनशीलता के संदर्भ में पुरुष विधायकों को जागरूक करने की जरूरत। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में महिलाओं के संबंध में अभद्र टिप्पणी की गयी।

⇒ महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक विकास से राजनैतिक विकास सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा अतः इस दिशा में प्रयास होना चाहिए।

वर्तमान लोकसभा में अब तक की सबसे बड़ी महिला सांसद संख्या एक सकारात्मक संकेत है। इस दिशा में और प्रयास की जरूरत है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. For effective public service delivery, there is need to shift from traditional accountability mechanisms to social accountability mechanisms. In this context, discuss the pre-conditions for the success of social accountability efforts and challenges associated with them. **(250 words) 15**

प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए, पारंपरिक जवाबदेही तंत्र से सामाजिक जवाबदेही तंत्र में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयासों की सफलता के लिए पूर्व-शर्तों और उनसे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

परंपरागत रूप से भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण आपूर्ति आधारित दृष्टिकोण से युक्त रहा है तथा इसने सामाजिक जवाबदेही एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण को उत्साहपूर्वक नहीं अपनाया है। इस दिशा में हाल में कुछ सुधार हुए हैं।

पारंपरिक जवाबदेही

उदाहरण

- विभागीय, मंत्रालयीय मूल्यांकन।
- सरकारी संस्थाओं द्वारा जाँच। CBI, CAG आदि।
- विधायिका द्वारा जवाबदेही तय होना।

सामाजिक जवाबदेही

- सामाजिक अंकेक्षण
- नागरिक चार्टर
- RTI आदि।
- जनता द्वारा हितधारकों द्वारा जवाबदेही तय होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की पूर्व शर्त

⇒ जनता में सेवाओं के विषय में जागरूकता हो। उदाहरण → नागरिक चार्टर आदि माध्यमों से।

⇒ सेवाओं के निर्माण में पारदर्शिता के साथ-साथ प्रक्रियाओं एवं वितरण में पारदर्शिता।

⇒ शिकायत निवारण तंत्र की मजबूती।

⇒ दंडकारी प्रावधान की जरूरत।

⇒ सामाजिक अंकेक्षण या मूल्यांकन पर कार्यवाही सुनिश्चित हो।

⇒ सभी सूचनाओं का अग्रसक्रिय प्रकटीकरण हो।

⇒ प्रतिबद्धताएँ कठोरता से लागू हों।

⇒ मीडिया की स्वतंत्रता।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

- नागरिक चार्टरों का विकास तो हुआ है किंतु कानूनी शक्ति के रूप में इसे RTI की भाँति स्थापित नहीं किया गया।
- अभी भी जागरूकता का स्तर निम्न है। डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों ने ई-प्रशासन को कमजोर बनाया है।
- सामाजिक अंकेक्षणों हेतु क्षमता, अनुक्रिया आदि का अभाव है।
- व्हिसलब्लोअर्स, RTI कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता भी एक मुद्दा है।

उपर्युक्त चुनौतियों के समाधान के साथ-साथ नवीन तकनीकों के मौलिक प्रयोग को प्रेरित करने की जरूरत है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) remains one of the most ambitious programmes for public welfare and rural development, but its objectives cannot be achieved without strong and capable Panchayati Raj Institutions. Elucidate.

(250 words) 15

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अभी भी लोक कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है, लेकिन इसके उद्देश्यों को मजबूत और सक्षम पंचायती राज संस्थानों के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट कीजिए।

MNREGA की शुरुआत ग्रामीण विकास को नई दिशा देने हेतु 2005 में अधिनियम के माध्यम से हुई।

MNREGA प्रमुख प्रावधान एवं उद्देश्य

- गारंटीकृत आवधिक रोजगार का प्रावधान
- अकुशल श्रम को आजीविका के साधन प्रदान करने का प्रयास।
- महिलाओं की श्रमबल भागीदारी बढ़ाने का प्रयास।
- शहरों की ओर पलायन को नियंत्रित करने का प्रयास।
- ग्रामीण अवसंरचना विकास।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

MNREGA का महत्व

→ भू जल प्रणालियों के पुनर्विकास में सफल रहा है।

→ हाल ही में COVID-19 में प्रवासी मजदूरों को MNREGA से काफी सहायता मिली।

→ बेहतर मजदूरों को साल भर काम के अवसर मिले हैं।

मनरेगा हेतु पंचायती राज संस्थाओं का महत्व

→ मनरेगा के तहत कार्यों का निर्धारण पंचायती राज संस्था ही करती है। इस हेतु ग्रामस्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव आदि की भूमिका महत्वपूर्ण।

→ पंचायतों की नियोजन क्षमता, तकनीक प्रयोग करने की क्षमता से मनरेगा पर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वृहद प्रभाव पड़ता है।

⇒ पंचायतों के कम्प्यूटीकरण से मनरेगा में भ्रष्टाचार कम होगा

⇒ पंचायती स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा देने से, पंचायत सदस्यों को जागरूक करने से मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी होगा।

⇒ पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी का प्रभाव मनरेगा पर होगा।

वस्तुतः पंचायती संस्थाएँ एवं मनरेगा की एक दूसरे पर निर्भरता को देखते हुए इनके प्रति एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Despite legal safeguards and international conventions, the State has failed to uphold the rights of persons with disabilities in general and those with psychosocial disabilities in particular. Discuss in the context of India.

(250 words) 15

कानूनी सुरक्षोपायों और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के बावजूद, राज्य सामान्य रूप से दिव्यांगजनों और विशेष रूप से मनोसामाजिक दिव्यांगजनों के अधिकारों को बनाए रखने में विफल रहा है। भारत के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

~~भारत में हाल ही~~

हाल ही में COVID-19 के दौर में दिव्यांगजनों, विशेषकर मनो-सामाजिक दिव्यांगजनों की सुभेद्यताओं में वृद्धि हुई है तथा उनके अपर्याप्त अधिकारीय प्रावधानों के प्रति चिंतनीय स्थिति ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया है।

भारत में दिव्यांगजनों को कानूनी सुरक्षोपाय → हाल ही में नवीन विधान का निर्माण

- शिक्षा, रोजगार आदि में आरक्षण का प्रावधान।
- अन्य उपाय → सुगम्य भारत अभियान
  - शिक्षा आदि हेतु तकनीक का अनुप्रयोग।
  - संवेदनशीलता हेतु विकलांग शब्द का निरसन।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विविध अभिसमयों का भी हस्ताक्षरकर्ता रहा है।

भारत में इस दिशा में स्थिति

- अभी भी सामाजिक जागरूकता का मनोरोगियों के संदर्भ में स्तर निम्न है।
- चिकित्सीय प्रावधान अपर्याप्त हैं।
- अस्पतालों एवं इस संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों का अभाव है।
- निजी क्षेत्रक का सीमित विकास।
- दिव्यांगजनों के विरुद्ध हिंसा भी एक चिंतनीय स्थिति है।
- तकनीक का समावेशी विकास न हो पाना भी चुनौती।
- ब्रेल लिपि आदि को अधिक उन्नत करने की जरूरत।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कारक

- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
- दबाव समूह का अभाव
- स्वयंसेवी संगठनों की सीमित व्याप्तता एवं क्षमता
- सामाजिक जागरूकता का निम्न स्तर

इस दिशा में नवीन प्रयास की जरूरत

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. To what extent has the PM Awas Yojana (Gramin) been successful in solving the problem of rural housing in India? Discuss with adequate arguments. **(250 words) 15**

भारत में ग्रामीण आवास की समस्या को सुलझाने में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) किस सीमा तक सफल रही है? पर्याप्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

हाल ही में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण तथा नवीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- 2015 में प्रारंभ की गयी।
- 2022 तक सभी को पक्का आवास प्रदान करने का लक्ष्य था।
- आवास के साथ-साथ स्वच्छ रसोई शौचालय आदि को भी शामिल किया गया।
- सरकार द्वारा DBT के जरिए नकद सहायता प्रदान की गयी।
- परिवार की महिला-प्रमुख को सहायता।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सफलता

- दो करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण किया गया।
- कई जिलों में शत प्रतिशत पक्के मकान का निर्माण हुआ।
- शौचालय के साथ-साथ निर्माण तथा उज्ज्वला योजना के समिलीकरण से प्रभावी रूप से स्थिति में सुधार।
- महिला सशक्तीकरण

सीमाएँ

- भ्रष्टाचार की व्यप्ति अभी भी है।
- अभी भी वे लोग जिनके पास आधार कार्ड आदि नहीं हैं। इस योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं।
- अधपके के मकान वाले भी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सके हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ निम्न गुणवत्ता वाले निर्माण के चलते इसका टिकाऊपन संदिग्ध है।

⇒ बिजली की सतत आपूर्ति का मुद्दा भी विद्यमान है।

वस्तुतः आवास के अधिकार को स्वच्छता, ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण आदि के अधिकार के साथ एकीकृत करके इस दिशा में प्रयास की जरूरत है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Despite the potential of India's Neighbourhood First policy, there have been several impediments to regional cooperation in South Asia. Discuss.

(250 words) 15

भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में क्षमता होने के बावजूद, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए कई बाधाएं विद्यमान हैं। चर्चा कीजिए।

नेबरहुड फर्स्ट नीति का अर्थ भारत द्वारा विदेश संबंध के सभी आयामों में पड़ोसी राष्ट्रों को प्राथमिकता देना है। इसे गुजराल सिद्धांत के तहत देखा जा सकता है।

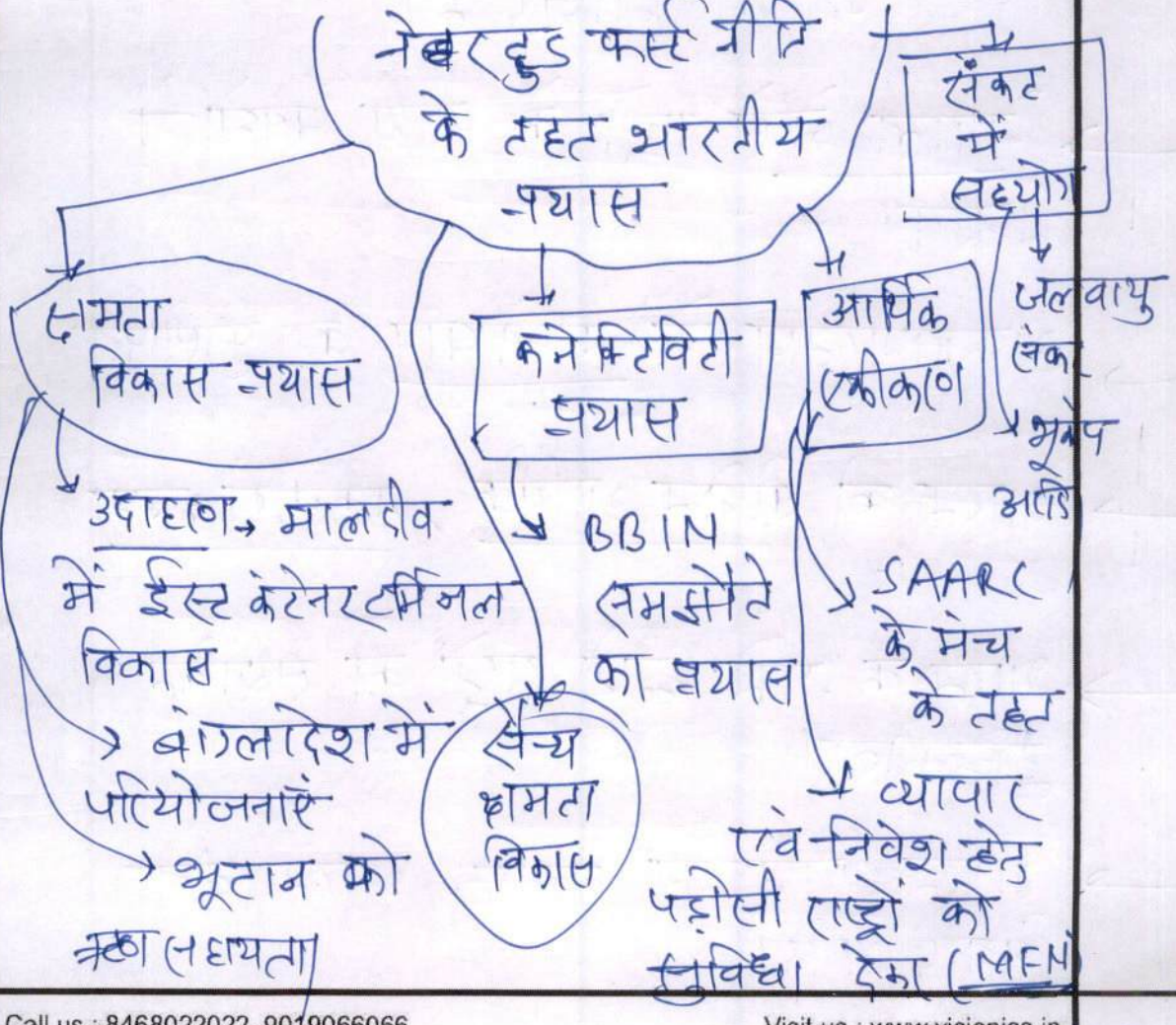

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बाधाएँ

- चीन का इस क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव
- पाकिस्तान द्वारा BBIN तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास।
- म्यांमार जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता। यह समस्या श्रीलंका जैसे देशों में भी मौजूद है।
- नेपाल जैसे राष्ट्रों के साथ संबंधों में तनाव।
- अफगानिस्तान में तालिबान की पुनर्स्थापना
- भारत की सीमित आर्थिक, तकनीकी क्षमता।
- भारत के प्रति छोटे राष्ट्रों का संशंकित दृष्टिकोण।
- भारत-पाकिस्तान विवाद, भारत चीन विवाद आदि।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपर्युक्त चुनौतियों के बाद भी भारत को स्वयं को परिस्थितियों का भुक्तभोगी न मानते हुए लगातार सक्रियता से अपनी भूमिका को विस्तार देने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए।

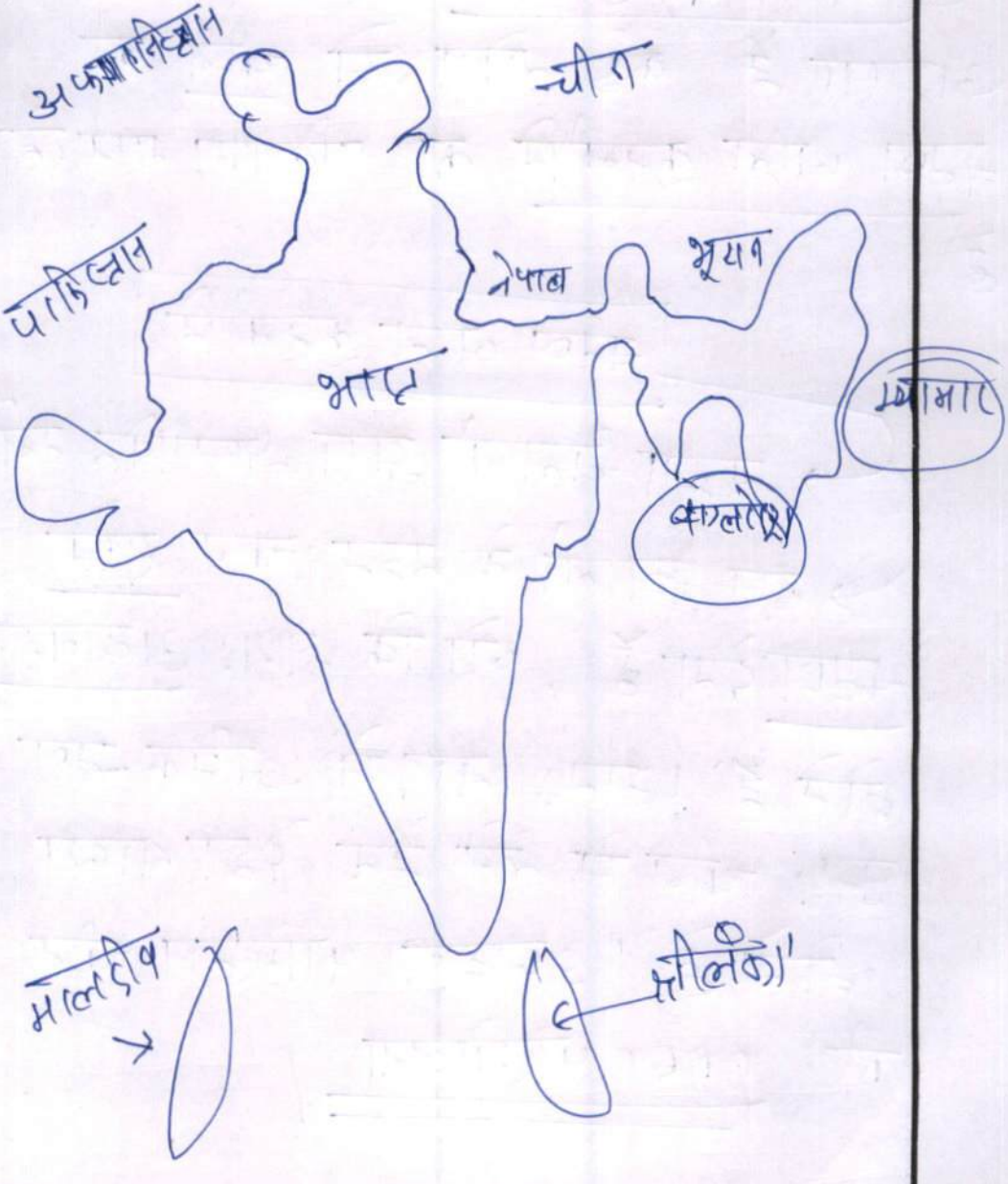

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. It is argued that China's Belt and Road Initiative has resulted in unsustainable debt-for-infrastructure deals in several countries across continents and it is a part of debt trap diplomacy. Discuss. **(250 words) 15**

यह तर्क दिया जाता है कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव महाद्वीपों के कई देशों में गैर-संधारणीय अवसंरचना के लिए-ऋण आधारित सौदों में परिणत हुआ है और यह ऋण जाल कूटनीति का एक हिस्सा है। चर्चा कीजिए।

श्रीलंका, पाकिस्तान, मंगोलिया आदि देशों का ~~ऋण~~ जीडीपी अनुपात आधे से भी अधिक होने की दिशा में अग्रसर है कई लोग इसे चीन की ~~ऋण~~ जाल कूटनीति का परिणाम मान रहे हैं।

~~ऋण~~ जाल कूटनीति

→ ब्रह्मा चेलानी द्वारा प्रस्तावित शब्द

→ इस प्रणाली के तहत चीन सस्ते ~~ऋण~~ देता है, जो कि प्रायः अव्यवहार्य होते हैं। अतः बाद में अधिक ~~ऋण~~ पुनः चीन से लेने हेतु देश बाध्य होते हैं। उदाहरण पाकिस्तान चीन की CPEC परियोजना।

(ऋण जाल कूटनीति में मुद्दे)

→ अपारदर्शिता

→ जॉम्बी लेंडिंग प्रणाली

→ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध।

समाधान → बिल्ड बैक बेटर

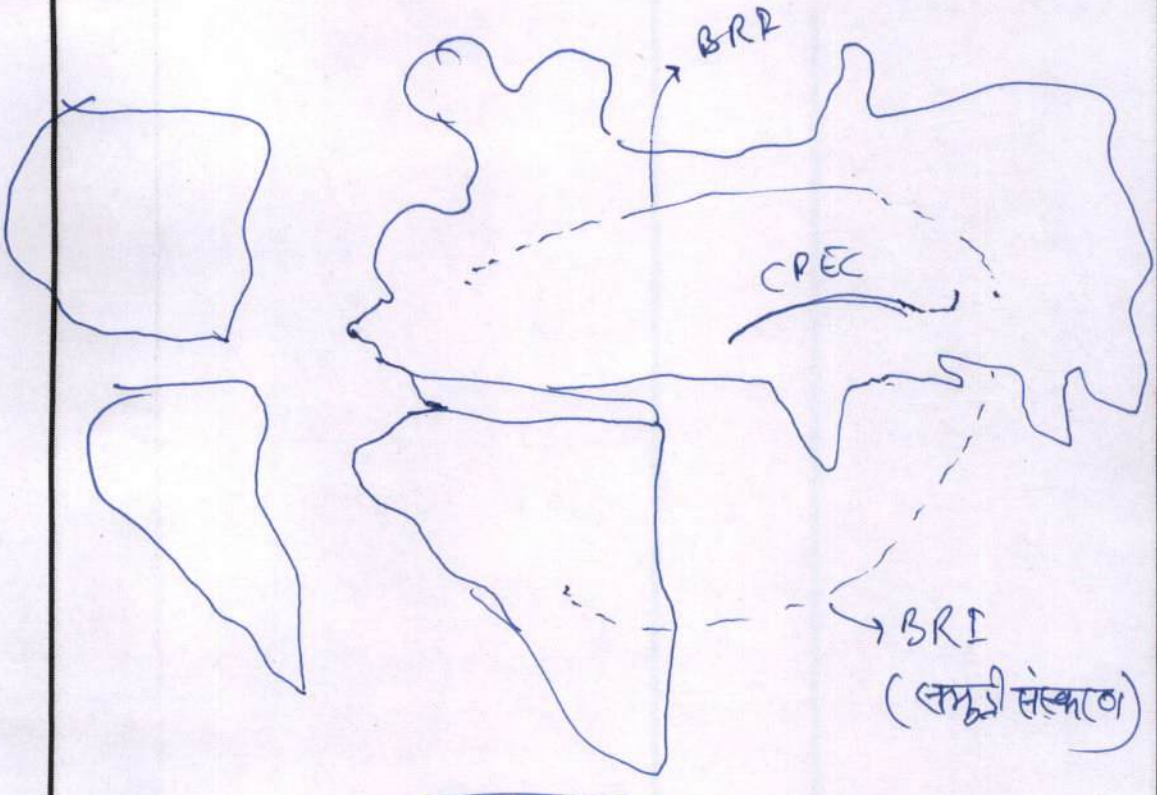

→ ब्लू डाट नेटवर्क

→ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कारिडोर

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)